

पटना नगर निगम

پتنہ میونسپل کارپوریشن

PATNA MUNICIPAL CORPORATION



Letter No. / पत्रांक: 4830

Date / दिनांक: 10/03/2023

संविदा सं०- P/BARI PAHARI/PRN-2B+G+14/865/2023
Application No-PMC-BPAS-02028/2023/BP

सेवा में,

Sai Kripa Real Estate Pvt. Ltd.

Director-Shri Shailendra Singh S/o-Late Awadhesh Kumar Singh

Add.-Awadh Raj Centre, 2nd Floor, Mitra Compound,
East Boring Canal Road, P.S.-Budha Colony, Patna.

विषय :-

प्लॉन केस सं०-P/BARI PAHARI/PRN-2B+G+14/865/2023 ऑटो मैप आवेदन संख्या-PMC-BPAS-02028/2023/BP की स्वीकृति के संबंध में।

महाराज,

आपके आवेदन संख्या-P/BARI PAHARI/PRN-2B+G+14/865/2023 ऑटो मैप आवेदन संख्या-PMC-BPAS-02028/2023/BP के संदर्भ में पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के प्लॉट सं०-1317(P), खाता सं०-500, धाना सं०-14, मौजा-BARI PAHARI, पटना पर भवन निर्माण के लिए निम्नलिखित शर्तों/निर्बंधनों के अध्याधीन एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से **आवासीय-सह-व्यवसायिक** प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया **3671.78 वर्ग मीटर** का पारिधि स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि **45.00 मीटर चौड़ाई** के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रशस्त भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों को **शून्य वर्ग मीटर चौड़ी भूमि** की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।
- (छ) भवन उपविधि के कठिका-09 के तहत नक्शा निर्गत करने में विलम्ब की पूरी जिम्मेवारी आवेदक/आर्किटेक्ट/बिल्डर की होगी।

Permission granted under section-9 of building bye laws shall remain valid up to five years from the date such a permission is granted.

- (ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(Signature)

- (श) योजना के अनुमोदन के पश्चात् मू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।
- (झ) मू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेदारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- (ट) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता/विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जबाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।
- (ठ) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ड) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules) 2016 का अनुपालन किया जाय।
- (इ) ग्रीन-एरिया का प्रावधान बिहार भवन उप-विधि, 2014 के कडिका-32 के अनुरूप निर्माण परिसर में किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ए) नक्शा स्वीकृति के पश्चात् एवं निर्माण कार्य प्रारम्भ करने तथा निर्माण कार्य के समय निर्माण स्थल को ढक कर रखेंगे तथा निर्माण सामग्री सड़क अथवा सार्वजनिक स्थल पर नहीं रखेंगे।

विश्वासभाजन,

Signature

निदेशक,

शहरी योजना,

पटना नगर निगम, पटना।